



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/ आश्विन 6, 1940

No. 692]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 938(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1271(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसकी उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 13 अक्तूबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 2 में,-

(अ) खण्ड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ध) "नौभारिक" के अंतर्गत कोई व्यक्ति या अभिकरण या फर्म भी होगा जो पोत से अमोनियम नाइट्रेट की चढाई और उतराई, अनुज्ञप्त भण्डार गृह तक उसके परिवहन का कार्य करता है;”;

(आ) खण्ड (न) में “नौभरण, परिवहन, भंडारण और उपयोग” शब्दों के स्थान पर “परिवर्तक और नौभारिक” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 5 में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम के, नियम 6 में,-

(अ) उप-नियम 2 के खण्ड (क) का लोप किया जाएगा;

(आ) उप-नियम 5 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन यात्रियों के लिए चलाए गए या उनकी ढुलाई कर रहे किसी वाहक पोत या वाहन में नहीं किया जाएगा।”

5. मूल नियम के, नियम 8 में,-

(अ) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) वह एक उचित जलसह थैले में पैक किया गया हो”;

(आ) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) थैले पर नियम 9 के उपबंधों अनुसार चिन्हित किया गया हो”;

(इ) खण्ड (ग) में “पैकेज” शब्द के स्थान पर “थैले” शब्द रखा जाएगा;

(ई) खण्ड (घ) में “पैकेज” शब्द के स्थान पर “थैले” शब्द रखा जाएगा।

6. मूल नियम के नियम 9 में,-

(अ) उप-नियम (1) में,-

(i) “या आधान” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (च) में, “पैकेज” शब्द के स्थान पर “थैले” शब्द रखा जाएगा;

(iii) खण्ड (ज) में “नौभरण अभिकर्ता” शब्दों के स्थान पर “नौभरक” शब्द रखा जाएगा;

(आ) उप-नियम (2) में “आरएफआईडी” शब्दों के स्थान पर “रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल नियम के, नियम 12 में,-

(अ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) अमोनियम नाइट्रेट भण्डारगृह से निम्नलिखित सुरक्षा दूरियां रखी जाएगी अर्थात्:-

(क) 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए,-

(i) 30 मैट्रिक टन से अनधिक क्षमता के भण्डारगृह से 4.5 मीटर;

(ii) अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से 4.5 मीटर;

(iii) चारदीवारी से 4.5 मीटर; और

(iv) किसी भी संरक्षित कार्य से 45 मीटर।

(ख) 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए,-

(i) अन्य भण्डारगृह से 9 मीटर;

(ii) अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से 9 मीटर;

(iii) चारदीवारी से 9 मीटर और

(iv) किसी भी संरक्षित कार्य से 90 मीटर;

(4अ) भण्डारगृह या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक, अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण या संपरिवर्तन के पेटीबंदकरण एकक या विस्फोटक विनिर्माण संयंत्र या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्र के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु उप-नियम (4) के सभी उपबंधों का पालन किया जाएगा;

(4आ) सुरक्षा दूरी की नाप यथास्थिति अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक या भण्डारगृह के किनारे से ली जाएगी।”;

(आ) उप-नियम (6) में,-

(क) "वर्ग मीटर प्रति", शब्दों के पश्चात अंक "1.5" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक अंक "200", के स्थान पर अंक "300" रखे जाएंगे।

(इ) उप-नियम (8) के, खण्ड (iii) में, "दूरी रखी जाएगी" शब्दों के पश्चात "और दो ऐसे अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाई रखी जाएगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल नियम के नियम 14 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, विक्रय या उपयोग हेतु कब्जा, परिवहन, आयात या निर्यात हेतु, इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के प्रत्येक धारक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में अभिलेख रखा जाएगा ताकि अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और पता लगाना सुनिश्चित किया जा सके और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं;

(1क) अनुज्ञप्ति धारक अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, पेटीबंदकरण, विक्रय या उपयोग हेतु कब्जा, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में विशिष्टियाँ, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन प्रणाली में, प्रतिदिन के आधार पर प्रविष्टि करेगा।”;

9. मूल नियम में, “अध्याय 3” के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) “सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना के लिए उपबंध”।

10. मूल नियम में, नियम 15 के, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन या नौभरण के लिए इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा।”।

11. मूल नियम के नियम 18 में,-

(अ) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अमोनियम नाइट्रेट को आयातक द्वारा केवल थेले में आयातित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आयातक उपयुक्त पैकिंग के लिए इन नियमों के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति वाले नौभारिक को प्राधिकृत करेगा;

(आ) उप-नियम (2) में, "नौभरण अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "नौभारिक" शब्द रखा जाएगा;

(इ) उप-नियम (3) में, "नौभारिक अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "नौभारिक" शब्द रखा जाएगा;

(ई) उप-नियम (4) में, "अनुज्ञापन प्राधिकारी और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(उ) उप-नियम (5) के खंड (ख) में "प्ररूप गड-1" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर "प्ररूप ग-1" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

12. मूल नियम में, नियम 19 के उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) निर्यातक, प्रत्येक पारेषण के निर्यात पर, जैसे ही भारतीय समुद्री पत्तन या सीमा से उसके प्रेषण करते ही, मुख्य नियंत्रक को लदान के बिल की प्रति और प्ररूप द-12 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

13. मूल नियम में, नियम 21 के, उप-नियम (6) में "भण्डार गृह" शब्द के पश्चात "या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक" शब्द रखे जाएंगे।

14. मूल नियम में, नियम 22 के, उप-नियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में लगे यानों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और प्ररूप त-4 में परिवहन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निगरानी की जाएगी।"

15. मूल नियम के, नियम 26 में, "किसी भण्डार गृह में और उससे" शब्दों के स्थान पर "किसी भण्डार गृह या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट टैंक से" शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल नियम में, नियम 27 के, उप-नियम (2) के खण्ड (ग), के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 के प्ररूप द -13 में पास जारी की जाएगी।"

17. मूल नियम में, अध्याय 7 के शीर्षक में, "अंतरण" शब्द का लोप किया जाएगा।

18. मूल नियम में, नियम 29 के उप-नियम (1) में, -

(अ) खण्ड (ख) में, "भण्डार गृह से" शब्दों के स्थान पर "अमोनियम नाइट्रेट के" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खण्ड (ग) में, "भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात, "या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) खण्ड (घ) में "भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात "या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. मूल नियम के, नियम 30 में,-

(अ) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, बिक्री हेतु भण्डारण के लिए कब्जा या अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जा, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा नियम 33 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर, ऐसी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।";

(आ) उप-नियम (2) में, "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "प्राधिकारी" शब्द रखा जाएगा;

(इ) उप-नियम (3) में, शब्द और अंक "नियम 33" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 34" रखा जाएगा।

20. मूल नियम के नियम 31 में, शब्द और अंक, "नियम 32" के स्थान पर शब्द और अंक, "नियम 33" रखा जाएगा।

21. मूल नियम में, नियम 33 के, उप-नियम (2) के खंड (घ) में, "चार्टरित अभियंता" शब्दों के स्थान पर "आवेदक" शब्द रखा जाएगा।

22. मूल नियम के नियम 34 में,-

(अ) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में "खान सुरक्षा महानिदेशक" शब्दों के पश्चात "या खान सुरक्षा उप महानिदेशक या खान सुरक्षा निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जिला प्राधिकारी या खानसुरक्षा महानिदेशक या खानसुरक्षा उप-महानिदेशक या खानसुरक्षा निदेशक द्वारा विनिर्माण या संपरिवर्तन या भण्डारगृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोजन, के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र या विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के दायरे में यदि वह स्थान शामिल है जहाँ ये कार्य पहले से विद्यमान है तो उसके लिए नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।"

23. मूल नियम में, नियम 35 के, उप-नियम (3) में, "अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "नियंत्रक या जिला प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

24. मूल नियम के, नियम 36 में,-

(अ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञप्ति फीस के साथ ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उस तारीख को या उससे पहले पहुँच जाए, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होती है:

परन्तु यदि पूरे दस्तावेजों के साथ नवीकरण आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात किंतु उसकी विधिमान्यता समाप्त होने के छह माह के भीतर प्राप्त होता है; और यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि विलंब का कारण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर था, तो इस निमित्त किए गए किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, एक वर्ष के अनुज्ञप्ति फीस के तुल्य विलंब फीस के भुगतान करने पर नवीकरण किया जा सकता है।";

(आ) उप-नियम (5) में, "और यदि अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख तक उसके नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता तो अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(इ) उप-नियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(9) ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि अनुज्ञापन या नवीकरण प्राधिकारी द्वारा नवीकरण का आवेदन, अनुज्ञप्ति के विधिमान्यता समाप्त होने के छह माह के पश्चात प्राप्त किया जाता है।

(10) अनुज्ञप्ति के विधिमान्यता समाप्त होने के छह माह के पश्चात यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो उसे नई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन समझा जाएगा और ऐसे मामले में, नई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।"

25. मूल नियम में, नियम 51 के उप-नियम (3) में "इस नियम" शब्दों के स्थान पर शब्द, अंक और ब्रेकेट "उप-नियम (2)" रखे जाएंगे।

26. मूल नियम के, नियम 52 में, “जहाँ हानि अमोनियम नाइट्रेट के रोजमर्रा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, या उपयोग के दौरान प्रतीकात्मक रूप से होने वाली हानि की मात्रा से अधिक हानि होती है,” शब्दों का लोप किया जाएगा।

27. मूल नियम की अनुसूची 1 के सारणी में क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 2 में,-

(अ) मद (क) में “या प्रयोग” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;

(इ) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबद्ध भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;

(ई) मद (घ) में “भण्डार गृह” शब्दों के पश्चात “3 मैट्रिक टन से अनधिक” अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

28. मूल नियम के अनुसूची 2 में,

(अ) भाग-1 की, सारणी में, स्तंभ 2 में, प्ररूप क-3 के सामने,-

(क) मद (क) में “या प्रयोग” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;

(ग) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबन्धित भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;

(घ) मद (घ) में “भण्डार गृह से” शब्दों के पश्चात “3 मैट्रिक टन से अनधिक” अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(आ) भाग-2 की, सारणी में, स्तंभ 2 में, प्ररूप त-3 के सामने, -

(क) मद (क) में “या प्रयोग” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट; या”;

(ग) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई या औद्योगिक इकाई से संबन्धित भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से उपयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;

(घ) मद (घ) में “भण्डार गृह से” शब्दों के पश्चात “3 मैट्रिक टन से अनधिक” अंक और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(इ) भाग-3 की, सारणी में, प्ररूप द-11(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“द-12	निर्यातक द्वारा समुद्री बंदरगाह से या सड़क मार्ग से निर्यात हेतु किसी भी अमोनियम नाइट्रेट के परेषण को जैसे ही रखना किया जाता है, तो उसकी घोषणा जल्द ही मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पास अग्रेषित की जाएगी।
द-13	अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया पास।”;

(ई) भाग-4 में, -

(क) प्ररूप क-1 से क-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप क-1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, नियम 35 और नियम 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन को ठोस या ठोस को गलन में संपरिवर्तित करने और विक्रय के लिए कब्जे में रखने हेतु अनुमोदन या अनुज्ञप्ति अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): अनुमोदन अनुदान संशोधन

1. आवेदक के प्रकार(कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):

व्यष्टि कंपनी भागीदारी फर्म सोसाइटी मालिकाना फर्म

2. आवेदक के ब्यौरे:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में) -----

(ग) आयु (व्यष्टि की दशा में) ----- आधार संख्या -----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड -----

एसटीडी कोड सहित फोन नं. ----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे नं /गट नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों के ब्यौरे दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)-----

5. औद्योगिक अनुज्ञप्ति का ब्यौरा (प्रति संलग्न करें):-----

6. प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट का विवरण (1) विनिर्मित.....(2) संपरिवर्तित.....

विनिर्माण/संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित मात्रा प्रतिदिन (मैट्रिक टन में)	विनिर्माण/संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित मात्रा वार्षिक (मैट्रिक टन में)	औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुसार अनुमोदित वार्षिक क्षमता (मैट्रिक टन में)	कब्जा और बिक्री के लिए संलग्न भंडारगृह की प्रस्तावित क्षमता (मैट्रिक टन में)

7. प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा या अतिरिक्त जानकारी -----

8. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा विगत दस वर्षों से धारित किया गया हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ नहीं ..

यदि हाँ, तो ब्यौरा दें -----

9. (क) क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है?

हां नहीं

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें -----

10. फीस के ब्यौरे.....

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख:

स्थान:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण : कृपया प्रयोजन के लिए नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखिए ।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों का नाम और पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएँ ।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए ।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए ।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उनका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप क -2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, नियम 35 और नियम 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण,पेटी बंद और भण्डार के अनुज्ञप्ति हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): अनुमोदन अनुदान संशोधन

1. आवेदक का प्रकार (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):

व्यष्टि कंपनी भागीदारी फर्म मालिकाना फर्म सोसाइटी

2. आवेदक के ब्यौरे:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में) -----

(ग) आयु (व्यष्टि की दशा में) ----- आधार संख्या-----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे नं / गट नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

थाना----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

4.पत्तन प्राधिकरण के नौभारक के रजिस्ट्रीकरण का विवरण:.....

5. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो तो पृथक पन्ना संलग्न करें)

6. पेटीबंद किए जाने हेतु प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट का विवरण:

पेटीबंद किए जाने हेतु प्रस्तावित मात्रा प्रतिदिन (मैट्रिक टन में)	वार्षिक अधिष्ठापन क्षमता (मैट्रिक टन में)	कब्जे हेतु प्रस्तावित प्रपुंज भंडारण क्षमता (मैट्रिक टन में)	पेटीबंद अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण हेतु संलग्न भंडारगृहों की प्रस्तावित क्षमता (मैट्रिक टन में)

7. प्रस्तावित संशोधन का व्योरा या अतिरिक्त जानकारी -----

8. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ , यदि आवेदक द्वारा विगत दस वर्षों से धारित किया गया हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ..... नहीं.....

यदि हाँ, तो जानकारी दें -----

9. (क) क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं.....

(ख) यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरे दें-----

10. फीस के ब्यौरे.....

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन के लिए नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखिए ।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों का नाम और पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए ।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए ।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उनका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा ।

प्ररूप क -3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, नियम 35

और नियम 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या उनके उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ज़िपकाएँ

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): अनुमोदन अनुदान संशोधन

1. निम्नलिखित हेतु अनुज्ञप्ति की मांग (किसी एक पर निशान लगाएँ):

(क) भंडारगृह या टैंक से 30 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या

(ख) भंडारगृह या टैंक से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या

(ग) भंडारगृह या टैंक से संलग्न विस्फोटक/एएनएफओ/नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माण ईकाइ से संबंधित अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए की अनुज्ञप्ति; या

(घ) भंडारगृह से 30 मैट्रिक टन से अनधिक कृषि प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति।

2. आवेदक के प्रकार: (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ) व्यष्टि कंपनी
भागीदारी फर्म सोसाइटी मालिकाना फर्म

3. आवेदक के ब्यौरे:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति का दिया जाना अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में) -----

(ग) आयु (व्यष्टि की दशा में) ----- आधार संख्या.....

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

4. प्रस्तावित परिसर का पता:

सर्वे नं / गट नं./खसरा नं ----- नगर/गांव -----

मंडल/तालुक/तहसील ----- रेलवे स्टेशन -----

थाना ----- जिला -----

राज्य ----- पिन कोड -----

5. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों के ब्यौरे दें और यदि अपेक्षित हो तो पृथक पन्ना संलग्न करें)

6. किसी एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा..... मैट्रिक टन

7. किसी एक दिन में विक्रीत किये जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा..... मैट्रिक टन

8. किसी एक माह में विक्रीत किये जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा..... मैट्रिक टन

9. प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा..... मैट्रिक टन

10. एक माह में प्रयोग में किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा..... मैट्रिक टन

11. क्या विस्फोटक/नाइट्रस आक्साइड के विनिर्माण हेतु परिसर किसी कारखाना से जुड़ा है: हां.....नहीं.....

12. प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरे और अतिरिक्त जानकारी.....

.....

13. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा विगत दस वर्षों से धारित किया गया हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नहीं....

यदि हाँ, तो ब्यौरा दें -----

14. (क) क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ..... नहीं....

(ख) यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें -----

15. फीस के ब्यौरे

16. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन के लिए नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों का नाम और पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियाँ संलग्न की जाए।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप क -4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, नियम 35

और नियम 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की मंजूरी या उसके संशोधन के लिए आवेदन

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): मंजूरी संशोधन

1. आवेदक के प्रकार (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):

व्यष्टिक कंपनी भागीदारी फर्म सोसायटी स्वत्वधारी फर्म

2. आवेदक के ब्यौरे:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति का दिया जाना अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) प्रास्थिति (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): व्यष्टि कंपनी स्वत्वधारी फर्म
भागीदारी फर्म सोसायटी

(ग) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में).....

(घ) आयु (व्यक्ति की दशा में) -----आधार संख्या-----

(ड.) डाक पता-----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

(च) एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. आवेदक की अर्हता और अनुभव: -----

4. उस स्थान की विशिष्टियाँ जहाँ से और जहाँ तक अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किया जाएगा:

(क) विनिर्माण कारखाना स्थापित है.....से पूरे भारत में

(ख) पत्तन का नाम.....से जिस परिसर में नौभरण स्थापित है.....

(ग) पत्तन का नाम.....जहाँ भंडारगृह स्थापित है.....

(घ) नौभरण परिसरसे भंडारगृहों को

(ड.) भंडारगृह स्थापित है..... पूरे भारत में

(च) भंडारगृह स्थापित हैराज्य को/ राज्य में/.....के जिले

5. विस्फोटक नियम, 1884 के अधीन आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ:

(क) अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण की अनुज्ञप्ति संख्या (यदि लागू है तो)-----

(ख) नौभरण अनुज्ञप्ति संख्या (यदि लागू है तो)-----

(ग) भंडारगृह की अनुज्ञप्ति संख्या:

(i) कब्जा और विक्रय----- (ii) कब्जा और उपयोग-----

6. परिवहन के प्रकार:-----

7. (क) क्या आवेदक द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति धारित की गई? (हां/नहीं)

(ख) क्या आवेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति को पिछले दस वर्षों के दौरान रद्द किया गया या नवीकृत नहीं किया गया? (हां/नहीं)

(ग) क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं.....

यदि उपरोक्त किसी प्रश्न का जवाब हां है, तो ब्यौरा दें

8. फीस के ब्यौरे.....

9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन के लिए नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों का नाम और पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।
- (4) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में अनुज्ञप्ति प्ररूप त-1, त-2, त-3, या त-5 की प्रति।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप क -5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1, नियम 33, नियम 35 और नियम 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

कृपया आगे हस्ताक्षर के साथ अधिभोगी का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ

प्रयोजन (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ): आयात निर्यात

1. आवेदक के प्रकार (कृपया किसी एक पर निशान लगाएँ):

व्यक्ति कंपनी भागीदारी फर्म सोसायटी स्वत्वधारी फर्म

2. आवेदक के ब्यौरे:

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) -----

(ख) सीआईएन संख्या/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी/फर्म की दशा में) -----

(ग) आयु (व्यक्ति की दशा में)----- आधार संख्या-----

(घ) डाक पता -----

शहर ----- जिला ----- राज्य ----- पिन कोड-----

एसटीडी कोड सहित फोन नं.----- मोबाइल नं ----- ई-मेल -----

3. आयात की दशा में:

(क) आयात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा:.....

(ख) आयात की जाने वाली प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट की यूएन संख्या.....

(ग) आयात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट का पेटीबंद पैटर्न.....

(घ) परेषक का नाम और पता:

(ङ.) आयात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम और पता.....

(च) व्यापारिक अभिकर्ता का नाम और पता, यदि कोई हो:

(छ) विदेश के समुद्री पत्तन या लदान का स्थान:.....

(ज) भारतीय पत्तन या आयात का स्थान:.....

(अ) आयातकर्ता द्वारा आयातित परेषण की सीधी प्राप्ति या नौभरण अभिकर्ता के माध्यम से:.....

(य) यदि नौभरण अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त किया है, उसका नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या की विशिष्टियाँ:

.....

(ट) आयातकर्ताओं के भंडारगृहों की अनुज्ञप्ति का विवरण, जहां अमोनियम नाइट्रेट आयात के बाद भण्डार किया जाएगा, या तो सीधे आयातक द्वारा या नौभरण अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:

4. निर्यात की दशा में:

क) निर्यात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा:.....

ख) निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट की यूएन संख्या.....

ग) निर्यात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट का पेटेबंद पैटर्न.....

घ) परेषक का नाम और पता:

ड) निर्यात की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम और पता.....

च) जहां अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात किया जाना है, वह देश.....

छ) भारतीय स्थान या बंदरगाह जहां से अमोनियम नाइट्रेट निर्यात किया जाएगा:

ज) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात परेषण के समुद्री मार्ग से भेजने की संभावित तारीख:.....

5. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा विगत दस वर्षों से धारित किया गया हो -----

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.....नहीं.....

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें -----

6. (क) क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां..... नहीं.....

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें -----

7. फीस के ब्यौरे -----

8. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।

तारीख:

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम -----

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

टिप्पण: कृपया प्रयोजन के लिए नियम और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज देखिए।

(1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों का नाम और पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।

(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।

(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट की गलत ढंग से इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग लागू विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

(ख) प्ररूप त-1 में अनुज्ञप्ति,—

- (I) क्रम संख्या 1 में, "पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट.....फोन..... ईमेल.....फैक्स....." शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (II) क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"1(क). अधिभोगी का नाम....."
- (III) शर्त 11 में, "पेटी में" शब्दों के पश्चात "या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (IV) शर्त 13 में, "नियम 49" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 50" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (V) शर्त 15 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्मित या संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा प्ररूप द-2 में रखेगा और विनिर्मित या संपरिवर्तित, प्राप्त, प्रयोग, विक्रीत, विनष्ट और चोरी किए गए अमोनियम नाइट्रेट की अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप द-9 में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिससे वह प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 10 तारीख तक अनुज्ञापन प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

(ग) प्ररूप त-2 में अनुज्ञप्ति, —

- (I) क्रम संख्या 1 में, "पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट.....फोन..... ईमेल.....फैक्स....." शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (II) क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी;
"1(क) अधिभोगी का नाम"
- (III) क्रम संख्या 9 के पश्चात, अंत में "जिला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "मुख्य नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे;
- (IV) शर्त संख्या (4) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(4) अनुज्ञप्तिधारी और नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर या उसमें रखे अमोनियम नाइट्रेट में आप्रधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी होगी और ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना होगा जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने और जो नौभरण, पेटी और भण्डारण परिसर में कार्य के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

- (V) शर्त (6) में, "त्रिनिर्माण, संपरिवर्तन" शब्दों के स्थान पर "नौभरण, पेटी और भण्डार" शब्द रखे जाएंगे;
- (VI) शर्त (9) में, "आयात किया जा रहा है" शब्दों के पश्चात "जो आयातक के भण्डार गृह की क्षमता में सीमित हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (VII) शर्त (10) में, "पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक" शब्द रखे जाएंगे;
- (VIII) शर्त (14) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(14) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 2 भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।";

- (IX) शर्त (16) के पश्चात, अंत में, "[जिला प्राधिकारी]" शब्दों के स्थान पर "[मुख्य नियंत्रक]" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप त-3 में अनुज्ञप्ति,—

- (i) शीर्षक "प्ररूप-3 में अनुज्ञप्ति", के नीचे "2011" अंकों के स्थान पर, "2012" अंक रखे जाएंगे

- (ii) मद (क) में “या प्रयोग” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (iii) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
 “(ख) किसी भण्डार गृह या टैंक में पिघला अमोनियम नाइट्रेट को 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या;
- (iv) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
 “(ग) या विस्फोटक विनिर्माण या नाइट्रस ऑक्साइड विनिर्माण इकाई या औद्योगिक संकर्म से संबद्ध भण्डार गृह या टैंक में पिघले अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या”;
- (v) मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
 “(घ) किसी भण्डार गृह से कृषि प्रयोजन के लिए 3 मैट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट उपयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति”;
- (vi) क्रम 1 में “पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट.....फोन..... ईमेल.....फैक्स.....” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (vii) क्रम 1 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित किया जाएगा;
 “ 1(क) अधिभोगी का नाम”;
- (viii) क्रम 4 में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “(ख) एक माह में क्रय की जाने वाली अमानियम नाइट्रेट की मात्रा.....; (ग) वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अमानियम नाइट्रेट की मात्रा.....”;
- (ix) शर्त (2) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “(2) किसी एक समय में, परिसर में प्राप्त या भण्डारित या विक्रय किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।”;
- (x) शर्त (6) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “(6) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा परिसर में कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।”;
- (xi) शर्त (9) में “पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर “पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे;
- (xii) शर्त (10) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “(10) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।”;
- (xiii) शर्त (11) में “प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट” प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर “प्राप्त, विक्रय, प्रयुक्त, चोरी या विनष्ट” शब्द रखे जाएंगे;
- (ड) प्ररूप त-4 में अनुज्ञप्ति,-
 (i) क्रम 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 “1(क) अधिभोगी का नाम”;
- (ii) शीर्षक “शर्त” के स्थान पर “शर्त” शीर्षक रखा जाएगा;

- (iii) शर्त (4) में “द-11(ख)” में अक्षर, अंक और कोष्ठको के स्थान पर, “द-11(ख)” अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे
- (च) प्ररूप त-5 में अनुज्ञप्ति,—
- (i) क्रम 1 में “पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट.....फोन..... ईमेल.....फैक्स.....” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम 1 के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“1(क) अधिभोगी का नाम”;
- (iii) सारणी में क्रम 3, के मद (क) में,-
- (i) स्तंभ 2 का लोप किया जाएगा;
- (ii) अंतिम स्तंभ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन जारी नौभरक अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ”;
- (iv) शर्त (12) में, “नियम 49” शब्द और अंक के स्थान पर “नियम 50” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (v) शर्त (12) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(13) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात हेतु अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भारतीय समुद्री पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के परेषण के प्रेषण के तुरंत बाद ही निर्यात प्ररूप द-12 में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी”;
- (छ) प्ररूप द-1 में, टिप्पण में, क्रम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(1) नवीकरण आवेदन पत्र नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व पहुंच जाना चाहिए जिससे विलम्ब शुल्क से बचा जा सके।”;
- (ज) प्ररूप द-10 में,-
- (I) शीर्षक “प्ररूप द-10” के नीचे “26(2)(क)” अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “27(2)(क)” अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (II) अंत में “अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर” शब्दों के पश्चात “या अधिकृत व्यक्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (झ) प्ररूप द-11(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप द-11(क)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 20(3) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के परेषण का प्रेषण से पहले परेषक या नौभरक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को जानकारी दिए जाने सम्बन्धी प्ररूप

1. प्रेषण की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट या पिघले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा.....
2. बैग की संख्या (ठोस अमोनियम नाइट्रेट की स्थिति में).....
3. जिस यान के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन प्रस्तावित है, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
4. परेषिती का नाम और पता.....
5. अमोनियम नाइट्रेट भण्डारण करने हेतु परेषिती की अनुज्ञप्ति की संख्या एवं विधिमान्यता

6. परेषिती के माँग पत्र की संख्या और तारीख.....
7. परेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता.....°
.....
8. परेषण के प्रेषण की तारीख.....
9. परेषिती के पास पारेषण पहुंचने की प्रस्तावित तारीख.....॥

स्थान:
तारीख:

परेषक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
अनुज्ञप्ति संख्या.....”;

(ज) प्ररूप द-11(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप द-11(ख)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 21(6) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए परेषण या नौभरक द्वारा निर्गमित पास

1. पास संख्या.....तारीख.....
2. यह पासबैग के अभिवहन में,
ग्राम/शहर.....जिला.....राज्य.....से.....ग्राम/शहर.....
.....जिला.....राज्य.....जिसमें निम्नलिखित मात्रा का अमोनियम नाइट्रेट है;

(अ) अमोनियम नाइट्रेट (टोस)

क्र.सं.	विस्फोटक का नाम	मात्रा (कि.ग्रा.)	इकाई	बैग की संख्या	बैच नंबर	बैच तारीख
1						
2						
3						
4						

(आ) अमोनियम नाइट्रेट (पिघला)

क्र.सं.	विस्फोटक का नाम	मात्रा (कि.ग्रा.)
1		
2		

3. (क) परिवहन के प्रकार.....
(ख) यान रजिस्ट्रेशन संख्या.....

(ग) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन त-4 अनुज्ञप्ति का ब्यौरा जिसके आधार पर अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किया जा रहा है.....

4. परेषिती का नाम और पता
5. परेषिती की अनुज्ञप्ति संख्या.....
6. परेषिती के मांगपत्र की संख्या और तारीख और मांगी गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
.....

7. परेषिती के पत्र की संख्या और अमोनियम नाइट्रेट की अभिप्राप्ति करने की इच्छा की सूचना की तारीख.....
8. परेषण के प्रेषण की तारीख.....
9. परेषण के गन्तव्य तक पहुँचने की संभावित तारीख.....
10. परेषण के परिवहन का मार्ग.....

स्थान: परेषक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
 तारीख: पूरा नाम.....
 अनुज्ञप्ति संख्या.....”;

(ट) प्ररूप द-11(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप द-12

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 19(4) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के निर्यातक द्वारा समुद्री पत्तन से या जमीनी परिवहन से अमोनियम नाइट्रेट के परेषण का प्रेषण करते ही मुख्य नियंत्रक द्वारा तुरंत बाद ही अग्रेषित की जाने वाली घोषणा,”

क्रम संख्या	मद	ब्यौरे
1.	निर्यात परेषण	
2.	निर्यात अनुज्ञप्ति सं.	
3.	निर्यातक का नाम और पता	
4.	अमोनियम नाइट्रेट का प्रकार	
5.	निर्यात हेतु अनुमत्य मात्रा	
6.	परेषिती का नाम और पता	
7.	अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माता का नाम	
8.	भारतीय समुद्री पत्तन या उसकी सीमा	
9.	गन्तव्य देश	
10.	पोत का नाम	
11.	भारतीय समुद्री पत्तन या भूमि से निर्यात के प्रेषण की तारीख	
12.	निर्यातक की टिप्पणियाँ (यदि कोई हो)	

निर्यातक के परिसरों से अमोनियम नाइट्रेट के प्रेषण का विवरण:-

क्रम सं.	प्रेषण की तारीख	द-11(ख) सं.	निर्यात इंडेंट ट-10 सं.	वैगो की संख्या	प्रत्येक वैग की मात्रा (किलोग्राम में)	निर्यातित मात्रा (किलोग्राम में)	बैच संख्या	बैच की तारीख	अनुज्ञप्त परिवहन की डॉक संख्या

तारीख:
स्थान:

निर्यातक के हस्ताक्षर
कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति

प्ररूप द- 13

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 27(2)(घ) देखें
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए जारी पास

भाग-क				
पास सं.			तारीख	
इस पास पर अवस्थित, प्ररूप त-3 में अनुज्ञप्ति सं.....के अंतर्गत आने वाले उपयोग भण्डारगृह से -----पर स्थित उपयोग के स्थान -----तक अभिवहन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा का अभिवहनः,				
क्रम सं.	अमोनियम नाइट्रेट के प्रकार	उपयोग के लिए जारी मात्रा	इकाई	
परिवहन अनुज्ञप्ति संख्या के अधीन परिवहन किए गये अमोनियम नाइट्रेट				
खान/स्वामित्व/स्थल के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के अभिकर्ता का नाम				
उपयोग किए गये स्थल का पूरा पता				
उपयोग का प्रयोजन				
भण्डार गृह से उपयोग किए गए स्थल के मध्य की अनुमानित दूरी				
हस्ताक्षर खान/ स्वामित्व /स्थल के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के अभिकर्ता का नाम		हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (अनुज्ञप्तिधारी) अनुज्ञप्ति संख्या: अनुज्ञप्ति प्ररूप: त-3		
<p>आवश्यक सूचना:</p> <p>दिन के दौरान उपयोग की मात्रा के लिए जारी अमोनियम नाइट्रेट की अनुमानित मात्रा ।</p> <p>भण्डार गृह से उपयोग के स्थान तक की दूरी पर यदि कोई अमोनियम नाइट्रेट अप्रयुक्त बचा हुआ है, तो उसी दिन सूर्यास्त से पहले उपरोक्त क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट भण्डारगृह पर जमा कराने के लिए वापिस परिवहन के लिए उपयोगित स्थान पर भेजा जाए।</p>				
भाग-ख				
अप्रयुक्त अमोनियम नाइट्रेट बचा होने के मामले में भण्डारगृह में भरे जाने और वापिस किए जाने				
:				
क्रम सं.	अमोनियम नाइट्रेट के प्रकार	वापिस की गई मात्रा	वास्तविक उपयोग मात्रा	इकाई

हस्ताक्षर खान/स्वामित्व/स्थल के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के अभिकर्ता का नाम	हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (अनुज्ञप्तिधारी) अनुज्ञप्ति संख्या: अनुज्ञप्ति प्ररूप: त-3”।
---	--

(ठ) प्रमाण-पत्र में, प्ररूप ग-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप ग- 2

अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 34 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र संख्या.....तारीख.....श्री.....द्वारा प्रस्तुत.....के सन्दर्भ में और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 34 के अनुसरण में सम्यक रूप से पृष्ठांकित और संलग्न आरेखण में सर्वे नं.....या गट सं.....या खसरा सं..... ग्राम.....तहसील या तालुक..... जिला.....राज्य.....स्थित परिसर में श्री या मै. पता..... को निम्नलिखित प्रयोजन, प्रकार एवं मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट हेतु अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम.....के अधीन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

1. प्रयोजन.....
(विक्रय हेतु कब्जा या उपयोग हेतु कब्जा, किसी एक का उल्लेख करें)
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा.....
(क) किसी एक समय में.....
(ख) एक माह में.....

(अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर)
(जिला मजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशक या खान सुरक्षा उप-महानिदेशक या खान सुरक्षा निदेशक)।

[फा. सं. 3(1)/2016-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 553 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 469 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2018

G.S.R. 938(E).—Whereas the draft rules were published to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosives Act 1884, (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 1271(E), dated the 13th day of October, 2017 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 13th day of October, 2017;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
 - (i) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

'(s) "stevedore" includes any person or agency or firm which undertakes loading and unloading of Ammonium Nitrate from the ship, its transport to the licensed store house;
 - (ii) in clause (t), for the words "stevedoring, transport, storage and usage", the words "converter and stevedore" shall be substituted.
3. In the principal rules, in rule 5, the proviso shall be omitted.
4. In the principal rules, in rule 6,-
 - (A) in sub-rule (2), clause (a) shall be omitted;
 - (B) in sub-rule (5), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"No Ammonium Nitrate shall be transported in any carriage vessel or vehicle plying for or carrying passengers."
5. In the principal rules, in rule 8,-
 - (A) in clause (a), the words "or container or is suitably bagged by stevedore or converter" shall be omitted;
 - (B) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

" (b) the bag is marked in accordance with the provisions of rule 9;"
 - (C) in clause (c), for the word "packages", the word "bags" shall be substituted;
 - (D) in clause (d), for the word "packages", the word "bags" shall be substituted.
6. In the principal rules, in rule 9,-
 - (A) in sub-rule (1),-
 - (I) the words "or container" shall be omitted;
 - (II) in clause (f), for the word "package", the word "bag" shall be substituted;
 - (III) in clause (h), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;
 - (B) in sub-rule (2), for the letters "RFID", the words "Radio Frequency Identification Device" shall be substituted.
7. In the principal rules, in rule 12,-
 - (A) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The Ammonium Nitrate storehouse shall maintain following safety distances, namely:-

 - (a) for storage of Ammonium Nitrate not exceeding 30 MT,-
 - (i) 4.5 meters from other store house of capacity not exceeding 30 MT;
 - (ii) 4.5 meters from Ammonium Nitrate melt tank;

- (iii) 4.5 meters from compound wall; and
- (iv) 45 meters from any protected works;
- (b) for storage of Ammonium Nitrate exceeding 30 MT,-
 - (i) 9 meters from other store house;
 - (ii) 9 meters from Ammonium Nitrate melt tank;
 - (iii) 9 meters from compound wall; and
 - (iv) 90 meters from any protected works.
- (4A) The store house or Ammonium Nitrate melt tank may be adjacent to the bagging unit of the manufacturing or conversion of Ammonium Nitrate or explosives manufacturing plant or nitrous oxide manufacturing plant, but shall observe all the provisions of sub-rule (4).
- (4B) The safety distance shall be measured from the edge of the store house or Ammonium Nitrate melt tank as the case may be. ";
- (B) in sub-rule (6),-
 - (i) after the words "one square metre per", the figure "1.5" shall be inserted;
 - (ii) in the proviso, for the figure, "200", the figure "300" shall be substituted;
- (C) in sub-rule (8), in clause (iii), after the words "protected works", the words "and the distance of minimum one metre shall be maintained between two such Ammonium Nitrate melt tanks" shall be inserted.
- 8. In the principal rules, in rule 14, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - "(1) Every person holding a licence granted under these rules for manufacture, conversion, stevedore, possession for sale or use, transport, import or export of the Ammonium Nitrate shall maintain records in the forms specified in Part 3 of Schedule II to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to an authority specified in rule 50.
 - (1A) The licence holder shall enter the particulars on manufacture, conversion, stevedore, bagging, possession for sale or use, transport, import or export of Ammonium Nitrate in the online system made available in the official website of Petroleum and Explosives Safety Organisation on day to day basis."
- 9. In the principal rules, in "CHAPTER III", for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"PROVISIONS FOR SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT PLAN".
- 10. In the principal rules, in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A person intending to manufacture, convert or stevedore Ammonium Nitrate shall submit Safety and Security Management Plan to the licensing authority and to the District Authority."
- 11. In the principal rules, in rule 18,-
 - (A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Ammonium Nitrate shall be imported by the importer only in bagged form and the importer shall authorise stevedore having valid licence under these rules for suitable packing, if required";
 - (B) in sub-rule (2), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;
 - (C) in sub-rule (3), for the words "stevedoring agent", the word "stevedore" shall be substituted;
 - (D) in sub-rule (4), the words "the Licensing Authority and", shall be omitted;
 - (E) in sub-rule (5), in clause (b), for the word, letters and figure "Form CE-1", the word, letter and figure "Form C-1" shall be substituted;
- 12. In the principal rules, in rule 19, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The exporter shall submit copy of bill of lading and return in Form R-12 to the Chief Controller, on export of each consignment as soon as it is dispatched from Indian sea port or border."
- 13. In the principal rules, in rule 21, in sub-rule (6), for the word "storehouse", the words "store house or Ammonium Nitrate melt tank" shall be substituted.
- 14. In the principal rules, in rule 22, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) The vehicles engaged in transport of Ammonium Nitrate shall be fitted with Global Positioning System and monitored by the transport licence holder in Form P-4."

15. In the principal rules, in rule 26, for the words "in and from a storehouse", the words "from a store house or Ammonium Nitrate melt tank" shall be substituted.
16. In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 "(d) a person holding a licence for possession and use of Ammonium Nitrate shall issue pass in Form R-13 of Part 3 of Schedule II."
17. In the principal rules, in CHAPTER VII, in the heading, the word "TRANSFER" shall be omitted.
18. In the principal rules, in rule 29, in sub-rule (1),-
 (A) in clause (b), for the words "from a store house", the words "of Ammonium Nitrate" shall be substituted;
 (B) in clause (c), after the word "store house", the words "or Ammonium Nitrate melt in tank" shall be inserted;
 (C) in clause (d), after the word "store house", the words "or Ammonium Nitrate melt in tank" shall be inserted.
19. In the principal rules, in rule 30,-
 (A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 "(1) A person desiring to obtain a licence for manufacture, conversion, stevedore, store for possession for sale or possession for use of Ammonium Nitrate, under these rules, shall obtain prior approval from the authority empowered to grant such licence, by submitting documents mentioned in rule 33."
 (B) in sub-rule (2), for the word "Magistrate", the word "Authority" shall be substituted;
 (C) in sub-rule (3), for the word and figures "rule 33", the word and figures "rule 34", shall be substituted.
20. In the principal rules, in rule 31, for the word and figures "rule 32", the word and figures "rule 33" shall be substituted.
21. In the principal rules, in rule 33, in sub-rule (2), in clause (d), for the words "Chartered Engineer", the words "the applicant" shall be substituted.
22. In the principal rules, in rule 34,-
 (A) in sub-rule 2, in clause (b), after the words "Mines Safety", the words "or Deputy Director General of Mines Safety or Director of Mines Safety" shall be inserted;
 (B) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 "(3) Fresh No Objection Certificate is not required for manufacturer or converter or store house or Ammonium Nitrate melt in tank, which is already existing at the site covered under No Objection certificate issued for the purpose by the District Authority or Director General of Mines Safety or Deputy Director General of Mines Safety or Director of Mines Safety or No Objection Certificate issued under the Explosives Rules, 2008."
23. In the principal rules, in rule 35, in sub-rule (3), for the words "licensing authority", the words "Controller or District Authority as the case may be" shall be substituted.
24. In the principal rules, in rule 36,-
 (A) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 "(4) Every application for the renewal of a licence shall be made so as to reach the licensing authority or the authority empowered to renew the licence on or before the date on which the licence expires:
 Provided that if the renewal application together with complete documents is received by the licensing authority after the date of expiry of the licence but not later than six months from the date of its expiry; and if the licensing authority is satisfied that the reason for the delay was beyond the control of the licence holder, the licence may, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, be renewed on payment of the late fee equivalent to one year's licence fee."
 (B) in sub-rule (5), the words, " and if no application is received till the date of validity of the licence, the licence shall stand expired" shall be omitted;
 (C) after sub-rule (8), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
 "(9) No licence shall be renewed if the application for renewal is received by the licensing or renewing authority after six months of the date of its expiry.
 (10) An application for renewal received after six months of the expiry of the licence shall be considered as an application for a new licence and in such case, all the documents required for grant of new licence

- including No Objection Certificate issued by District Authority shall be submitted to the licensing authority for grant of new licence."
25. In the principal rules, in rule 51, in sub-rule (3), for the words "this rule", the words, figure and brackets "sub-rule (2)" shall be substituted.
26. In the principal rules, in rule 52, the words "where the loss exceeds the permitted limit of loss that typically occurs during routine production, storage, transportation, or use of Ammonium Nitrate" shall be omitted.
27. In the principal rules, in SCHEDULE I, in the table, against serial no 3, in column 2,-
- (A) in item (a), the word "or use" shall be omitted;
- (B) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-
- "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";
- (C) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
- "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or".
- (D) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted.
28. In the principal rules, in SCHEDULE II,
- (A) in PART-1, in the table, against Form No A-3, in column 2,-
- (a) in item (a), the words "or use" shall be omitted;
- (b) for item (b), following item shall be substituted, namely:-
- "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";
- (c) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
- "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or"
- (d) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted;
- (B) in PART-2, in the table, against Form No P-3, in column 2,-
- (a) in item (a), the words "or use", shall be omitted;
- (b) for item (b), following item shall be substituted, namely:-
- "(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or";
- (c) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
- "(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or".
- (d) in item (d), after the word "storehouse", the words and figure "not exceeding 3 MT." shall be inserted;
- (C) in PART-3, in the table, after the Form No R-11 (b) and the entries relating thereto, the following Forms and entries shall be inserted, namely:-

"R-12	Declaration to be forwarded to the Chief Controller of Explosives as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is dispatched by the exporter from the sea port or dispatched by road for export by land
R-13	Pass issued by the licensee for Use of Ammonium Nitrate.";

(D) in PART-4,-

(a) for the Forms A-1 to A-5, the following Forms respectively, shall be substituted, namely:-

"Form A-1

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)
APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OF LICENCE
TO MANUFACTURE AND POSSESS FOR SALE OR CONVERT MELT TO SOLID
AND VICE VERSA AND POSSESS FOR SALE OF AMMONIUM NITRATEPlease affix a
recent passport
size colour
photograph of
occupier with
signature in
frontPurpose (tick any one): Approval Grant Amendment 1. Type of applicant (tick any one): Individual Company
Partnership Firm Proprietary Firm Society

2. Applicant's detail:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) CIN No/Firm registration No (in case of company/Firm)-----

(c) Age in case of individual-----Aadhaar No -----

(d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey No/Gat No/Khasra No----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

5. Details of industrial licence (attach copy):-----

6. Details of Ammonium Nitrate proposed to be (1) Manufactured Converted

Quantity proposed to be manufactured/converted per day (in MT)	Quantity proposed to be manufactured/converted per annum (in MT)	Approved annual capacity as per Industrial Licence (in MT)	Proposed capacity of attached storehouse for possession and sale (in MT)

7. Details of amendment proposed or additional information-----

8. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last ten years-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes No

If yes, give details-----

9. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years Yes No

(b) If yes, give details-----

10. Fee details-----

11. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority or authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

Form A-2

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)
APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT
OF LICENCE TO STEVEDORE, BAG AND STORE AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): Approval Grant Amendment

1. Type of applicant (tick any one): Individual Company

Partnership Firm Society Proprietary Firm

2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is sought (see note below)-----

(b) CIN No/Firm registration No. (in case of company/Firm)-----

(c) Age in case of individual-----Aadhaar No.-----

(d) Postal address -----

City-----District-----State-----PIN Code-----

Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. Address of the proposed premises:

Survey No/Gat No/Khasra No----- Town/Village-----

Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----

Police Station----- District-----

State-----PIN Code-----

4. Details of the registration of stevedore with port authority: -----

5. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.

(Give individual's details and attach separate sheet if required)

6. Details of Ammonium Nitrate proposed to be bagged:

Quantity proposed to be bagged per day (in MT)	Annual installed capacity (in MT)	Proposed bulk storage capacity for possession (in MT)	Proposed capacity of attached storehouse(s) for storage of bagged Ammonium Nitrate (in MT)

7. Details of amendment proposed or additional information-----

8 . (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last ten years.-----

(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes No

If yes, give details-----

9. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years Yes No

(b) If yes, give details-----

10. Fee details-----

11. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

Form A-3

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OF LICENCE
FOR POSSESSION AND SALE OR USE OF AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): Approval Grant Amendment

1. Licence sought for (tick any one):

- (a) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house or a tank not exceeding 30 MT; or
- (b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house or a tank exceeding 30 MT; or
- (c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or a tank attached to

- explosives/ANFO/Nitrous Oxide manufacturing unit; or
 (d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT.
2. Type of applicant (tick any one): Individual Company Partnership Firm
 Society Proprietary Firm
3. Applicant's detail:
 (a) Name in which licence is sought (see note below)-----
 (b) CIN No/Firm registration No (in case of Company/Firm)-----
 (c) Age in case of individual-----Aadhaar No-----
 (d) Postal address-----

 City-----District-----State-----PIN Code-----
 Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----
4. Address of the proposed premises:
 Survey No/Gat No/Khasra No----- Town/Village-----
 Mandal/Taluk/Tehsil----- Railway Station-----
 Police Station----- District-----
 State-----PIN Code-----
5. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him.
 (Give individual's details and attach separate sheet if required)

6. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed at any one time: -----MT.
 7. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold in a day:-----MT.
 8. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold in a month:-----MT.
 9. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used in a day:-----MT.
 10. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used in a month:-----MT.
11. Are the premises attached to the factory licenced to manufacture of explosives/nitrous oxide: Yes No
12. Details of amendment proposed or additional information-----

- 13(a). Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last ten years.

- (b). Was any licence cancelled or not renewed? Yes No
 If yes give details-----
14. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years? Yes No
 (b) If yes, give details-----
15. Fee details:-----
16. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of the applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes : Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

Form A-4

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

APPLICATION FOR GRANT OR AMENDMENT TO TRANSPORT
AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): Grant Amendment 1. Type of applicant (tick any one): Individual Company Partnership Firm Society Proprietary Firm

2. Applicant's details:

(a) Name in which licence is required to be granted (see note below) -----

(b) Status (Please tick): Individual Company Partnership Firm Society Proprietorship Firm

(c) CIN No/Firm registration No (in case of company/Firm)-----

(d) Age (in case of individual)-----Aadhaar No-----

(e) Postal address:-----

City-----District-----State-----PIN Code-----

(f) Phone no with STD code-----Mobile No-----E-mail-----

3. Qualification and experience of applicant:-----

4. Particulars of places from where and to Ammonium Nitrate to be transported:

(a) Manufacturing factory situated at -----to all India.

(b) Port name -----to the premises of Stevedore situated at-----

(c) Port name -----to the storehouse situated at-----

(d) Stevedore's premises at-----to storehouses.

(e) Store house situated at-----to all India

(f) Store house situated at-----within/to the state/ Districts of.....

5. Particulars of licences held by the applicant under Explosives Act, 1884:

(a) Ammonium Nitrate manufacturing Licence no (if applicable)-----

(b) Stevedore's Licence no (if applicable):-----

(c) Licence no of storehouse:

(i) Possession & sale----- (ii) Possession & use -----

6. Mode of transport:-----

7. (a) Has the applicant held other licences under Explosives Act, 1884 in the last ten years? (Y/N)

(b) Has any licence held by applicant been cancelled or not renewed in the last ten years? (Y/N)

(c) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years. Yes No

If answer is yes to any of the question above, give details-----

8. Fee details-----

9. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.
- (4) Copy of licence held in Form P-1, P-2, P-3 or P-5 of Ammonium Nitrate Rules, 2012

Statutory Warning: Mishandling and misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.

Form A-5

(See Part-1 of Schedule II, rules 33, 35 and 37 of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE TO
IMPORT AMMONIUM NITRATE OR EXPORT AMMONIUM NITRATE

Please affix a recent passport size colour photograph of occupier with signature in front

Purpose (tick any one): IMPORT EXPORT

1. Type of applicant (tick any one): Individual Company Partnership Firm
Society Proprietary Firm

2. Applicant's details:

- (a) Name in which licence is sought (see note below)-----
- (b) CIN No/Firm registration No. (in case of Company/Firm)-----
- (c) Age in case of individual-----Aadhaar No-----
- (d) Postal address-----

City-----District-----State-----PIN Code-----
Phone No with STD code -----Mobile No-----E-mail-----

3. In case of import :

- a) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be imported:
- b) UN No. of Ammonium Nitrate proposed to be imported:
- c) Bagging pattern of Ammonium Nitrate to be imported:
- d) Name and address of Consignor:
- e) Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate to be imported:....
- f) Name and address of Trading Agent, if any:
- g) Country of foreign sea port or place of loading:
- h) Indian Port or place of import:...
- i) Imported consignment received directly by the importer or through the stevedoring agent:...
- j) If received through stevedoring agent, particulars of his name address and licence Nos:.....
.....
- k) License particulars of the importers storehouse(s), where Ammonium Nitrate will be stored after import, either directly received by the importer or through the stevedoring agent:

4. In case of export :

- a) Quantity of Ammonium Nitrate to be exported:
- b) UN No. of Ammonium Nitrate to be exported :.....
- c) Bagging pattern of Ammonium Nitrate to be exported:
- d) Name and address of consignee:.....
- e) Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate to be exported:....
- f) Country to where Ammonium Nitrate is exported:
- g) Indian Place or port from which Ammonium Nitrate will be exported:
- h) Likely date of dispatch of Ammonium Nitrate export consignment:

5. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last ten years.-----

- (b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes
-
- No
-

If yes give details:-----

6. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last ten years Yes No

- (b) If yes, give details-----

7. Fee details-----

8. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date: -----

Signature of applicant in the box above

Place: -----

Full name -----

(Authorised person in case of company)

Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of ammonium nitrate shall constitute serious criminal offence under the applicable law.";

(b) in LICENCE FORM P-1,-

- (I) in serial number 1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat----- Phone..... Email.....Fax" shall be omitted;
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
" 1(a). Name of the Occupier -----";
- (III) in condition 11, after the word "stored in", the words "Ammonium Nitrate melt in tank or" shall be inserted;
- (IV) in condition 13, for the word and figures "rule 49", the word and figures "rule 50", shall be substituted;
- (V) for condition 15, the following condition shall be substituted, namely:-

"14. The licence holder shall maintain account of Ammonium Nitrate manufactured or converted in Form R-2 and submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured or converted, received, used, sold, destroyed and stolen in the prescribed Form R-9 of Part 3 of Schedule II so as to reach Licensing Authority and District Authority on or before the tenth day of every succeeding month.";

(c) in LICENCE FORM P-2,-

- (I) in serial number 1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat..... Phone.....Email.....Fax" shall be omitted;
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1(a) Name of the Occupier -----";
- (III) after serial number 9, in the end, for the words "[District Authority]", the words "[Chief Controller]", shall be substituted;
- (IV) for condition (4), the following condition shall be substituted, namely:-
"(4) The licence holder and every person employed in or about the stevedore, bag and store premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the stevedore, bag and store premises and for preventing unauthorised person from having access to such premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the stevedore, bag and store premises.";
- (V) in condition (6), for the words "manufacturing, conversion", the words, "stevedore, bag and store", shall be substituted;
- (VI) in condition (9), after the words "is imported", the words "restricted to the store house capacity of the importer", shall be inserted;
- (VII) in condition (10), for the words "police station and the District Authority", the words "police station, the District Authority and the Chief Controller", shall be substituted;
- (VIII) for condition (14), the following condition shall be substituted, namely:-
"(14) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Part 3 of Schedule II and shall produce such records on demand to authority specified in rule 50.";
- (IX) after condition (16), in the end, for the words "[District Authority]", the words "[Chief Controller]", shall be substituted;

(d) in LICENCE FORM P-3,-

- (I) below the heading "LICENCE FORM P-3", for the figures "2011", the figures "2012" shall be substituted;
- (II) in item (a), the words, "or use" shall be omitted;
- (III) for item (b), the following items shall be substituted, namely:-
"(b) Licence to possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house exceeding 30 MT or Ammonium Nitrate melt in tank; or;
- (IV) for item (c), the following item shall be substituted, namely:-
"(c) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house or Ammonium Nitrate melt in tank attached to explosives manufacturing or Nitrous Oxide manufacturing unit or industrial applications; or";
- (V) for item (d), the following item shall be substituted, namely:-
"(d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT";
- (VI) in serial number 1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat..... Phone.....Email.....Fax" shall be omitted;
- (VII) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
"1(a) Name of the Occupier -----";
- (VIII) in serial number 4, for item (b), the following items shall be substituted, namely:-
"(b) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a month-----;
(c) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a financial year-----";
- (IX) for condition (2), the following condition shall be substituted, namely:-

- " (2) The quantity of Ammonium Nitrate received or stored, or sold in the premises shall not exceed at any one time the quantity for which licence is issued.";
- (X) for condition (6), the following condition shall be substituted, namely:-
"(6) The licence holder shall appoint a competent person to supervise the operations in the premises.";
- (XI) in condition (9), for the words "police station and the District Authority", the words "police station, District Authority and the Chief Controller" shall be substituted;
- (XII) for condition (10), following condition shall be substituted, namely:-
"(10) Licence holder shall maintain records in the prescribed forms specified in Part 3 of Schedule II and shall produce such records on demand to authority specified in rule 50.";
- (XIII) in condition (11), for the letters and words "AN received, sold/used", the words "Ammonium Nitrate received, sold, used, stolen", shall be substituted;
- (e) in LICENCE FORM P-4,-
- (I) after serial number (1), the following serial number shall be inserted, namely:-
"1(a) Name of the Occupier -----";
- (II) for the heading "CONDITONS", the heading "CONDITIONS" shall be substituted;
- (III) in condition (4), for the letters, brackets and figures "R-11(B)", the letters, brackets and figures "R-11 (b)" shall be substituted;
- (f) in LICENCE FORM P-5,-
- (I) in serial number1, the words "Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat..... Phone.....Email.....Fax" shall be omitted;
- (II) after serial number 1, the following serial number shall be inserted;
"1(a) Name of the Occupier -----";
- (III) in serial number 3, in item (a), in the table,-
- (i) column (2) shall be omitted;
- (ii) in the last column, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Particulars of stevedore licence issued under Ammonium Nitrate Rules, 2012";
- (IV) in condition (12), for the word and figures "rule 49", the word and figures "rule 50", shall be substituted;
- (V) after condition (12), the following condition shall be inserted, namely:-
"(13) Licence holder for export of Ammonium Nitrate shall submit declaration in Form R-12 soon after the consignment of ammonium Nitrate is dispatched from Indian sea port.";
- (g) in FORM R-1, in the Notes, for serial number (1), the following shall be substituted, namely:-
"(1) The renewal application should reach to the renewal authority before the date of expiry of the licence to avoid payment of late fee.";
- (h) in FORM R-10,-
- (I) below the heading "FORM R-10", for the figures, brackets and letter "26(2)(a)", the figures, brackets and letter "27(2)(a)" shall be substituted;
- (II) in the end, after the words "Signature of the Licence holder", the words "or authorised person" shall be inserted;
- (i) for FORM R-11(a), the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM R-11(a)

(See rule 20(3) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Form of intimation to be given by the consignor or stevedore to the District Superintendent of Police before dispatch of consignment of Ammonium Nitrate

1. Quantity of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt proposed to be despatched-----

2. Number of bags (in case of solid Ammonium Nitrate)-----
3. Ammonium Nitrate proposed to be transported by vehicle registration number-----
4. Name and address of consignee-----

5. Number and validity of consignee's licence to store Ammonium Nitrate-----

6. Consignee's indent number and date-----
7. Name and address of authorised person who will receive the consignment-----

8. Date of despatch of consignment-----
9. Probable date on which consignment reaching consignee's place-----

Place:

Signature of consignor or authorised person

Date:

Full Name-----

Licence Number-----";

(j) for FORM R-11(b), the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM R-11(b)
(See rule 21(6) of Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Pass issued by the consignor or stevedore for transport of consignment of Ammonium Nitrate

1. Pass No.-----Date-----
2. This pass covers-----bags while in transit from village/town -----
District-----State-----to village/town-----District-----
State-----containing following quantity of Ammonium Nitrate ;
(A) Ammonium Nitrate (Solid)

Sr No.	Explosives Name	Quantity	Unit (kg)	No of bags	Batch No	Batch date
1						
2						
3						
4						

(B) Ammonium Nitrate (Melt)

Sr No	Explosives name	Quantity (kg)

3. (a) Mode of transport-----
- (b) Vehicle registration no.-----
- (c) Details of P-4 licence under Ammonium Nitrate Rules, 2012 on the strength of which Ammonium Nitrate is being transported-----

4. Name and address of consignee-----
5. Consignee's Licence number -----
6. Consignee's order number with date and quantity of Ammonium Nitrate ordered-----

7. Consignee's letter number and date intimating readiness to receive Ammonium Nitrate-----

8. Date of despatch of consignment-----
9. Approximate date on which consignment should reach the destination-----
10. Route for transport of consignment-----

Place:

Signature of consignor or authorised person

Date:

Full Name-----

Licence Number-----";

(k) after FORM R-11(b), the following Forms shall be inserted, namely:-

"FORM R-12

(See rule 19(4) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Declaration to be forwarded to the Chief Controller of Explosives as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is dispatched by the exporter from the sea port or dispatched by road for export by land

3. (a) Mode of transport-----
- (b) Vehicle registration no.-----
- (c) Details of P-4 licence under Ammonium Nitrate Rules, 2012 on the strength of which Ammonium Nitrate is being transported-----
4. Name and address of consignee-----
5. Consignee's Licence number -----
6. Consignee's order number with date and quantity of Ammonium Nitrate ordered-----

7. Consignee's letter number and date intimating readiness to receive Ammonium Nitrate-----

8. Date of despatch of consignment-----
9. Approximate date on which consignment should reach the destination-----
10. Route for transport of consignment-----

Place:

Signature of consignor or authorised person

Date:

Full Name-----

Licence Number-----";

(k) after FORM R-11(b), the following Forms shall be inserted, namely:-

"FORM R-12

(See rule 19(4) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

Declaration to be forwarded to the Chief Controller of Explosives as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is dispatched by the exporter from the sea port or dispatched by road for export by land

Sr No.	Item	Details
1	Export Consignment	
2	Export Licence No	
3	Name & Address of Exporter	
4	Type of Ammonium Nitrate	
5	Quantity Permitted to Export	
6	Name and address of the Consignee	
7	Name of the Ammonium Nitrate Manufacturer	
8	Name Indian sea port or border	
9	Destination Country	
10	Name of the Ship	
11	Date of Dispatch from Indian Sea Port or by road for export by land	
12	Remarks of Exporter (if any)	

Details of dispatch of a ammonium nitrate from the Exporter's premises:-

Sr. No	Dispatch Date	R-11(b) No.	Export Indent R-10 No.	No. of bags	Quantity in each bag (Kg)	Quantity Exported (Kg)	Batch No.	Batch Date	Transport Licence No.

Date:
Place:

Signature of the exporter
Authorised person in case of Company

FORM R-13

(See rules 27(2)(d) of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)
Pass issued by the licensee for use of Ammonium Nitrate

Part-A				
1.	Pass No.			Date:
2.	This pass covers following quantity of Ammonium Nitrate While transit from use store house covered under Licence No.:.....in Form:P-3, situated at.....to place of use at:			
3.			
4.	Sr.No	Type of Ammonium Nitrate	Quantity Issued for Use	Unit
5.				

	The Ammonium Nitrate is being transported under the Transport Licence number			
	Name of agent of mine owner or authorised person of site of use			
	Full address of site of use			
	Purpose of use			
	Approximate Distance between Store house and Site of Use			
	Signature Name of the Agent of Mine/Owner/Authorised Person of Place of Use		Signature(Authorised Signatory) (Licensee) Licence Number:..... Licence Form:P3	
	<p>Important Notes:</p> <p>The quantity of Ammonium Nitrate issued should be the quantity likely to be used during the day.</p> <p>The Place of use may be at such a distance from store house so that if any Ammonium Nitrate is left un-used, the same can be transported back and deposited in the store house referred in Sr. No. 2 of above on the same day before the sunset.</p>			
Part - B				
To be filled in case Ammonium Nitrate are left unused and to be returned in the Storehouse:				
Sr.No	Type of Ammonium Nitrate	Quantity Returned	Quantity Actually Used	Unit
	Signature Name of the agent of mine owner or authorised person of place of use		Signature of licensee (Authorised Signatory) Licence Number:..... Licence Form:P3".	

(1) in CERTIFICATES, for Form C-2, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form C-2
Format of No Objection Certificate
(See rule 34 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012)

No Objection Certificate under the Ammonium Nitrate Rules, 2012

With reference to the application no.....dated.....submitted by.....
and in pursuance of rule 34 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012, there is no objection for granting licence under the Ammonium Nitrate Rules, 2012 to.....of address..... for the following purpose, kind and quantity of Ammonium Nitrate in the premises at Survey no. or Gat no or Khasra no, village.....tehsil or taluka....., district....., state..... as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

1. Purpose:.....

(please mention any one of possession for sale or possession for use)

2. Quantity of Ammonium Nitrate:
(a) at any one time.....
(b) in a month.....

(Signature of the no objection certificate issuing authority with his official seal)
(District Magistrate or Director General of Mines Safety or Deputy Director General of Mines Safety or Director of Mines Safety)".

[F. No. 3(1)/2016-Expl]

SHAIENDRA SINGH , Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amendment vide notification number G.S.R. 469(E) dated 9th July, 2013.